

[2020] 6 एस. सी. आर.

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ई. टी. सी.

बनाम्

मेसर्स आइसबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य आदि

(सिविल अपील संख्या 7649-7651/2019)

27 अप्रैल, 2020

[दीपाक गुप्ता न्यायमूर्ति और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति]

विद्युत अधिनियम, 2003-धाराएँ- 2 (15), 42 (5) और 56-हाई-टेंशन बिजली कनेक्शन की आपूर्ति के लिए समझौता-वार्षिक न्यूनतम गारंटी (ए. एम. जी.) के रूप में वर्गीकृत राशि से उठाए गए बिल और अन्य शुल्क-गैर-भुगतान/आंशिक भुगतान-08.09.2006 पर आपूर्ति काट दी गई-उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति काटने को वैध माना-अपीलार्थी ने मंच के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी-अपीलार्थी को रोकने वाले मंच के आदेश के बावजूद आपूर्ति कभी-कभी काट दी जाती रही, और बिल उठाए जाते रहे-आखिरकार, एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना कि किशतों के अनुरोध पर विचार किए बिना आपूर्ति काट देना अनुचित था और प्रतिवादी की ओर से इस तरह की चूक का अर्थ धारा 56 के तहत "भुगतान करने में उपेक्षा" नहीं था-डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि-अभिनिर्धारित: शब्दकार्यकाल 'उपभोक्ता' को धारा 2(15) में परिभाषित किया गया है-उत्तरदाता इस विवरण से मेल खाता है-मंच से संपर्क प्रस्तुत के अपने अधिकार को वंचित करने का कोई कारण नहीं है-बिजली के उपयोग का उद्देश्य बिक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्यर्थी द्वारा उपभोग उनके अपने कारखाने के लिए था-इसके अलावा, एएमजी शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी के दायित्व पर कोई विवाद नहीं है, कम से कम वहां तक जहां तक पहले बिल का संबंध है-हालाँकि, किशत के लिए इसका प्रतिनिधित्व दया याचिका की प्रकृति में था-इस प्रकार, उच्च

न्यायालय का निष्कर्ष है कि उपभोक्ता ने धारा 56 में विच्छेद की गारंटी लेते हुए भुगतान करने की उपेक्षा नहीं की। स्वीकार नहीं किया गया-लेकिन, अंततः डिस्कनेक्शन की अवधि के बाद किश्त की मंजूरी दी गई-इस प्रकार, एक बार जब किस्त में भुगतान के लिए प्रतिवादी की याचिका स्वीकार कर ली गई और बकाया चुकाने के लिए समझौता किया गया, तो इसने अपीलकर्ता को स्वीकार्य तरीके से बकाया का भुगतान करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया-उच्च न्यायालय ने सही पाया कि 08.09.2006 पर डिस्कनेक्शन का कार्य मनमाना था-डिवीजन बेंच का निर्णय कायम रखा गया-उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और विद्युत लोकपाल विनियमन, 2006-खंड 2 (1) (छ)।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

माना: 1.1 'उपभोक्ता' शब्द को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 (15) में परिभाषित किया गया है। प्रतिवादी कंपनी इस विवरण में सही बैठती है। कंपनी द्वारा फोरम से संपर्क करने के अपने अधिकार को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। बिजली का उपयोग बिक्री के लिए वस्तु का उत्पादन के लिए हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा बिजली का उपयोग या उपभोग उनकी अपने फैक्ट्री के लिए था। [पैरा 10,11] [242-ए, सी, एफ]

1.2 अगला सवाल यह आता है कि क्या फोरम द्वारा दिए गए रोक के आदेश के बावजूद बोर्ड की ओर से कंपनी की आपूर्ति को बंद करने की अनुमति थी। डिवीजन बेंच के निष्कर्ष को उस हिसाब से स्वीकार किया जाता है। बोर्ड एक वैधानिक के निर्देश को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और किसी उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से अपनी खुद की धारणा नहीं बना सकता था। [पैरा 12] [242-जी]

1.3 तीसरा बिंदु इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या कंपनी को एएमजी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी या नहीं, उस अवधि के दौरान जब उनकी आपूर्ति डिस्कनेक्ट होने से रुकी हुई थी। फोरम ने उपभोक्ताओं के इस रुख को स्वीकार करते हुए कि बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता, परिपत्र संख्या 477 दिनांकित 29.10.2002 (आपूर्ति के सामान्य नियम और शर्तें) का उल्लेख किया। निवारण मंच 12 फरवरी 2008 के अपने आदेश के क्रम में (वाद सं. 108/2007) ने उक्त परिपत्र को आंशिक रूप से कंपनी के पक्ष

में समझा है वैधानिक मंच बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ परिपत्रों से निपटने में एक निष्कर्ष पर आया। न्यायालय को इस स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहां तक निष्कर्ष उक्त परिपत्र की प्रयोज्यता और व्याख्या से संबंधित है। [पैरा 13,15 और 16] [242-एच; 243-ए; 244-डी; 245-एफ]

1.4 धारा 56 के तहत, आपूर्ति का विच्छेदन की विशेष एवं एक मुकदमा दायर करके वसूली के सामान्य तरीके के शक्ति आपूर्तिकर्ता को दी गई है। जहां तक विषय विवाद का संबंध है, कम से कम जहां तक पहले बिल का संबंध है, एएमजी शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी कंपनी के दायित्व पर कोई विवाद नहीं है। किस्त के लिए इसका प्रतिनिधित्व दया याचिका की प्रकृति का था। केवल उस कारक को देखते हुए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया होगा कि उपभोक्ता ने भुगतान करने की उपेक्षा नहीं की ताकि अधिनियम की धारा 56 में निहित डिस्कनेक्शन प्रावधान को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन प्रत्यर्थी कंपनी के संबंध में, अंततः विच्छेदन की अवधि के बाद किस्त की अनुमति दे दी गई। एक बार जब किस्त भुगतान के लिए उस दलील को स्वीकार कर लिया गया और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए समझौता किया गया, तो इसने कंपनी की ओर से भुगतान करने में सहमति, जो अपीलकर्ता बोर्ड को स्वीकार्य हो। कंपनी की इस तरह की याचिका को मामले को लंबे समय तक लंबित रखने के बाद स्वीकार कर लिया गया था। ऐसे परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय अपना निष्कर्ष देने में सही था कि 8 सितंबर 2006 को डिस्कनेक्शन का कृत्य मनमाना था। पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय कायम है। [पारा 19-21] [247-C, G-H; 248-A-C]

नागपुर शहर निगम बनाम नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1958 बॉम. 498; समामेलित वाणिज्यिक व्यापारी बनाम ए. सी. के. कृष्णस्वामी 1995 (XXV) CC 454; लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी और एक अन्य बनाम प्रतापसिंह मोहन सिंह परदेशी (1995) 6 SCC 576-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1995) 6 एससीसी 576

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

सिविल अपील न्यायाधिकार 2019 की सिविल अपील संख्या 7649-7651

पत्र पेटेंट अपील संख्या 521/2011, 1490/2010, 1491/2010 में तारीख 07.02.2013 को पटना उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से

नवीन प्रकाश, अभिषेक विकास, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुस्मित पुष्कर, अंचित ओसवाल, सुश्री एस. नौसाद, सुश्री भावना मिश्रा, अभिनव मुखर्जी, सुश्री प्रतिष्ठा विज, बिहू शर्मा, समर्थ खन्ना, ई. सी. विद्या सागर, मनीष कुमार, श्रीकांत एस., अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

निर्णयअनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति

ये अपीलें पटना हाईकोर्ट में एक खण्ड पीठ के एक निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वार्षिक न्यूनतम गारंटी (एएमजी) और कुछ अन्य प्रभार के रूप में वर्गीकृत कुछ राशि का भुगतान करने के लिए पहले प्रतिवादी में दायित्व स्थिति से उत्पन्न होना विवादों में तीन रिट याचिकाओं के फैसला में विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय में पुष्टि में गई है। अपीलकर्ता बोर्ड था। प्रथम प्रतिवादी की शिकायत आईसबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) ने अपनी आपूर्ति के डिस्कनेक्शन पर, जिसे उन्होंने गैरकानूनी बताया था, एकल न्यायाधीश द्वारा धारित किया गया था और यह भी प्रथम अदालत द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि कहा कंपनी बोर्ड की गणना के अनुसार एएमजी और कुछ अन्य प्रभार का भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। खण्ड पीठ का निर्णय 7 फरवरी,

2013 को सुनाया गया। कंपनी ने 16 अप्रैल 2004 को 1,000 केवीए की ठेका माँग के लिए अपीलकर्ता बोर्ड के साथ बिजली की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध किया था। यह एक ब्रुअरी की स्थापना के लिए उच्च तनाव वाले बिजली कनेक्शन की आपूर्ति के लिए था। कंपनी को आपूर्ति को 06.05.2005 को ऊर्जावान बनाया गया था। इन अपीलों को जन्म देने वाली तीन रिट याचिकाओं में शामिल विवाद 17 अप्रैल 2006 को 27,11,814/- रुपये के एक बिल दिनांक चढ़ा हुआ उत्पन्न हुआ। यह एएमजी की ओर अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया था और 06.05.2006 तक देय था। कंपनी ने निर्धारित तिथि के भीतर भुगतान नहीं किया। तीन डिस्कनेक्शन नोटिस, दिनांक चढ़ा हुआ 15 मई, और 26 मई और 29 जून 2006 के भुगतान में गलती के कारण बोर्ड द्वारा एएमजी के साथ-साथ ऊर्जा शुल्क भी जारी किए गए। कंपनी ने 29 जुलाई 2006 को एक प्रतिनिधित्व व्यवसाय संबंधित कुछ कठिनाइयों का हवाला देते हुए किया और दस मासिक किस्तों में एएमजी के मद में उनके बकाये को समाप्त करने के लिए 14, 71, 952/- रुपये क्षेत्र तक देय राशि का आंशिक भुगतान किया गया था। बिजली अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की सूचना 56 के अंतर्गत कंपनी को एएमजी का भुगतान न करने और विलंबित भुगतान अधिभार (डीपीएस) के कारण 33,38,572/- रुपये की राशि के लिए 23 अगस्त, 2006 को बिजली काट दिनांक चढ़ा हुआ गई थी। एक अन्य बिल 1 सितंबर 2006 को पेश गया था, जिसकी देय तिथि 20 सितंबर 2006 थी। बिल की मात्रा 37,00,923 रुपये थी और बिल के शीर्ष एएमजी, डीपीएस और ऊर्जा शुल्क थे। हालाँकि कंपनी को आपूर्ति 6 सितम्बर, 2006 को काट दी गई थी। इस बारे में कुछ संदेह है कि ऐसा डिस्कनेक्शन 6 सितंबर को हुआ या 8 सितंबर को, लेकिन जहां तक इन अपीलों का संबंध है, यह अंतर बहुत कम महत्व का है।

2. तीन याचिकाओं में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अपील के अधीन निर्णय के निम्नलिखित अनुच्छेदों अंतर्गत दिए गए अभिलेख से सामने आएंगी:

“इसके बाद 1.9.2006 को एक नया बिल पेश किया गया, जिसके अंतर्गत एएमजी और डीपीएस के बकाये को भी शामिल किया गया, जो मौजूदा अवशिष्ट दिनांक 17.04.2006 कुल 37,00,923 रुपये था। भुगतान की देय तिथि 20.9.2006 थी। बोर्ड ने दिनांक 23.8.2006

के डिस्कनेक्शन के लिए सूचना के अनुसार 6 सितंबर 2006 को आपूर्ति काट दी। फिर बोर्ड ने दिनांक 26.8.2006 के प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई की और किस्तों की सुविधा प्रदान की। एएमजी और डीपीएस के किस्तों में भुगतान के लिए 11 अप्रैल, 2007 को दोनों पक्षों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। 7 महीने बाद 16.4.2007 को कनेक्शन बहाल कर दिया गया। इस पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 17.4.2006 में बिल में अंतर्गत भुगतान सहमति में अनुसार किया गया है।

फिर बोर्ड ने 1.11.2006 से 30.4.2007 की डिस्कनेक्टेड अवधि के लिए न्यूनतम गारंटी प्रभार/आधार प्रभार के रूप में 70,23,149 रुपये का नया बिल वित्त वर्ष 2006-07 के लिए एएमजी प्रभार (जिसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2006 की डिस्कनेक्टेड अवधि के लिए प्रभार भी शामिल था) 18,02,582 रुपये के लिए 4.5.2007 को उठाया था। इस प्रकार कुल 88,389,528 रुपये के बिल तैयार किए गए। इसका भुगतान न करने के लिए 22 मई, 2007 को एक नई डिस्कनेक्शन सूचना जारी किया गया था, उद्योग इस अधिनियम के अंतर्गत फोरम में गया। 12.2.2008 के अधिनियम द्वारा फोरम अंतर्गत उद्योग को नवंबर 2006 तक न्यूनतम प्रभार का भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया। दिसंबर 2006 से अप्रैल 2007 तक न्यूनतम प्रभार को खराब माना गया था। इस आदेश से पीड़ित होकर उसने 2008 के सीडब्ल्यूजेसी 4637 में इस पर सवाल उठाया। आदेश के उत्तरार्द्ध भाग को बोर्ड द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

19 मार्च, 2008 को फोरम द्वारा दिसंबर, 2006 से अप्रैल, 2007 की अवधि के लिए एएमजी और डीपीएस सहित 1.33 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के लिए एक नई डिस्कनेक्शन सूचना जारी किया गया था। बोर्ड ने मौजूदा उपभोग प्रभार को प्रतिग्रहण करने से भी अस्वीकार

कर दिया। फोरम के आदेश के विरोध के आधार पर बोर्ड ने 2 अप्रैल, 2008 को दूसरी बार बिजली की आपूर्ति काट दी।

फोरम सीडब्ल्यूजेसी 7314 दिनांक 12.02.2008 के आदेश की अवहेलना करने के बाद बोर्ड द्वारा 5.5.2008 को इसे चुनौती देते हुए दायर किया गया था। रिट याचिका में यह खुलासा नहीं किया गया है कि बोर्ड ने पहले ही आदेश की अवज्ञा कर दी थी और नए संशोधित बिल पेश किए बिना आपूर्ति काट दी थी। रिट याचिका में फोरम के आदेश पर अंतरिम स्थगन लगाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी।

15 मई, 2008 को सीडब्ल्यूजेसी 4637 में निर्देशित 35 लाख रुपये में अंतरिम जमा के बाद 24 मई, 2008 को बिजली में आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। दिनांक 22.05.2009 को 1.47 करोड़ रुपये का नया बिल डिस्कनेक्शन के लिए सूचना के साथ पेश किया गया। इसमें फोरम द्वारा अस्वीकृत अवधि के लिए एएमजी और डीपीएस शामिल थे। इसमें 2 अप्रैल, 2008 से लेकर 23 मई, 2008 तक की अवधि के लिए एएमजी और डीपीएस प्रभार भी शामिल था। फोरम के समक्ष फिर से उद्योग द्वारा चुनौती दी गई। इस माँग को मंच ने 12 जून, 2009 को रोक दिया था। मंच के आदेश को चुनौती दिए बिना बोर्ड ने मौजूदा भुगतान को भी प्रतिग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया और 1.82 करोड़ रुपये अवशिष्ट दिखाया और 7 अगस्त, 2009 को फिर से उद्योग में आपूर्ति काट दी। उद्योग द्वारा इसकी तुलना में 2009 की सीडब्ल्यूजेसी 9742 को प्राथमिकता दी गई थी। अदालत के आदेश के अनुसरण में 80 लाख रुपये जमा किया गए और बिजली की आपूर्ति 1.12.2009 को बहाल कर दी गई। इसलिए इस उद्योग ने 7.8.2009 से 30.11.2009 तक की डिस्कनेक्शन अवधि के लिए एएमजी और डीपीएस शुल्क पर भी सवाल उठाया। वर्तमान अपील में अंतरिम निर्देशों के अनुसार 40 लाख रुपये का आगे भुगतान किया गया है।"

3. एकल न्यायाधीश ने धारण किया कि किस्तों के अनुरोध पर विचार किए बिना कनेक्शन काटने का कार्य अनुचित था। यह गलती कि कंपनी की ओर से ऐसा व्यतिक्रम भुगतान करने में उपेक्षा बिल गठन नहीं करता जैसा कि 2003 के अधिनियम में धारा 56 में अनुध्यात है। हालाँकि 23 अगस्त, 2006 की पूर्व सूचना के आधार पर 6 सितम्बर, 2006 को कनेक्शन काटे गए थे। इसे अनुचित माना गया। एकल न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा 42 (5) के फिर उठाया फोरम के आदेश के विरोध भी गैरकानूनी ठहराया गया था।

4. अपील न्यायपीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि:

“दिनांक 19.3.2008 का बिल जिस अंतर्गत 1.11.2006 से 3.4.2007 की अवधि के लिए एएमजी और डीपीएस शामिल थे, जो फोरम के आदेश के गैरकानूनी होने के विरोध था, उद्योग इसके भुगतान के लिए किसी दायित्व के अधीन नहीं था। इसके बाद 2 अप्रैल, 2008 को कनेक्शन काटने का काम स्वतः ही गैरकानूनी हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि बोर्ड के अधिकारियों ने फोरम द्वारा अस्वीकृत की गई अवधि के लिए एएमजी और डीपीएस को फिर से शामिल करके दिनांक 22.5.2009 के विधेयक में फोरम के आदेश की अवहेलना और 2.4.2008 से 23.5.2008 में अवधि के लिए भी गैरकानूनी बिल को दोहराया। याचिकाकर्ता ने इस बिल को फिर से फोरम के समक्ष चुनौती दी, जिस पर 12 जून, 2009 को रोक लगा दी गई। बोर्ड की निरंकुशता घोर अवज्ञा प्रमुख में बनी रही और 7 अगस्त, 2009 को आपूर्ति फिर से बंद हो गई, जिसके कारण 2009 का सीडब्ल्यूजेसी 9742 स्थापित किया गया। अदालत के आदेशों के अंतर्गत 80 लाख रुपये के भुगतान पर 1 दिसम्बर, 2009 को आपूर्ति बहाल कर दी गई थी। 7.08.2009 से 30.11.2009 तक इस संबंध में गैरकानूनी रूप से आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह देखने के लिए मजबूर हैं कि यह दूसरा अवसर है जब अधिकारी बोर्ड द्वारा सांविधिक अधिकार के आदेशों में घोर अवहेलना करना खतरनाक कार्यकारी सोच का संकेत

है। हम उम्मीद करते हैं कि बोर्ड के अधिकारी उनमें मूर्खता को समझेंगे और समझदारी से काम करेंगे, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्य करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के प्रशासनिक दुस्साहस का प्रयास न किया लेना सके।

बोर्ड के प्रति निष्पक्षता में हमें 2008 में सीडब्ल्यूजेसी 7314 को फोरम के आदेश के खिलाफ दायर करना आक्षेपित चाहिए। निर्णय से यह प्रतीत नहीं होता है कि उसे कोई मूल चुनौती दी गई थी, सिवाय इसके कि बोर्ड उससे सहमत नहीं था। हमारे सामने भी कोई मूल चुनौती नहीं रखी गई है कि फोरम का आदेश क्यों गलत था। हमारे सामने केवल आधार यह था कि फोरम का आदेश एच. टी. कनेक्शन के लिए पार्टियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता के विरोध में था। बोर्ड का यह पहला कर्तव्य था कि वह फोरम के आदेश का पालन करे और फिर इसे चुनौती दे या तुरंत आदेश को चुनौती दे और आदेश पर रोक लगाने की मांग करे। इसके आचरण को दोनों ही पहलुओं पर बेहद वांछनीय पाया गया है। डिस्कनेक्शन के पैराग्राफ 9 में एक टालमटोल वाला और उद्देश्यपूर्ण अस्पष्ट कथन दिया गया था। तारीख का कोई विवरण नहीं कहा गया था या रिट याचिका दायर करने से पहले ही आदेश की अवहेलना की गई थी। यदि बोर्ड कानूनी अर्ध न्यायिक आदेश के खिलाफ कानून के संरक्षण की मांग कर रहा था, तो उसे पहले कानून का सम्मान करना था। कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अवज्ञा को जारी रखने के लिए कानून की शरण नहीं ले सकता। दायर की गई रिट याचिका इसलिए बोर्ड को इस आधार पर भी खारिज जाना उपयुक्त था।

बोर्ड द्वारा जिस साउथको (पूर्वोक्त) मामला पर भरोसा किया गया उसका वर्तमान मामला में कोई आवेदन नहीं है। राजस्व केंद्रित शब्दों का उपयोग बिजली के अनधिकृत उपयोग के संदर्भ में किया गया था। इसी तरह केसोराम इंडस्ट्रीज (ऊपर) पर कर लगाना अधिनियम के निर्माण से

संबंधित है। वैसे ही रेमंड (उपर्युक्त) और ग्रीन इंडस्ट्रीज (उपर्युक्त) बोर्ड द्वारा गैरकानूनी डिस्कनेक्शन की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटी दायित्व के भुगतान से संबंधित नहीं थे।

अदालत कोर्ट के विचारों और निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए, हम मानते हैं कि प्रारंभिक डिस्कनेक्शन खुद गैरकानूनी होने के कारण बोर्ड के पास न केवल उस अवधि के लिए बल्कि गैरकानूनी डिस्कनेक्शन की प्रत्येक अवधि के लिए भी किसी भी एएमजी और डीपीएस को शुल्क करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह बिलों को संशोधित करने में विफल रहा है। निर्णय के अंतिम पैराग्राफ में अदालत कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों में किसी दखल अंदाजी की आवश्यकता नहीं है।"

5. हमारे सामने तीन मुद्दे उभरते हैं, जिनका हमें समाधान करने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा यह है कि क्या कंपनी एएमजी और डीपीएस से संबंधित विवाद पर निवारण मंच के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकती थी, जिसमें अधिनियम में धारा 56 के संदर्भ में कनेक्शन काटने का सवाल भी शामिल है। किस्त भुगतान, उपभोक्ता को आपूर्ति की मांग करने वाले प्रतिनिधित्व को इस तरह के प्रतिनिधित्व से व्यवहार बिना काट दिया जा सकता है। तीसरा मुद्दा यह है कि क्या एएमजी पूरी अवधि के लिए कंपनी द्वारा देय था जिसके दौरान उपभोक्ता को आपूर्ति बंद रहती है।

6. कंपनी के बकाये को समाप्त करने के लिए किस्तों में मंजूरी के अनुरोध को अंत में बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया और इस आशय का एक समझौता कंपनी और बोर्ड के बीच दस किस्तों में 37,09,027/- रुपये के बकाये के परिसमापन के नष्ट किया गया। है समझौता 11 अप्रैल, 2007 को हुआ था। इस समझौता की एक प्रति कंपनी के प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्नक आर 11 में दी गई है। पहली किस्त के भुगतान पर कंपनी की आपूर्ति लाइन को 16 अप्रैल, 2007 को ऊर्जावान बनाया गया था। एक अन्य बिल दिनांक 04.05.2007 को कंपनी को 1 दिसंबर 2006 और 30 अप्रैल 2007 के बीच की अवधि के लिए न्यूनतम मासिक आधार प्रभार, वर्ष 2006-2007 के लिए एएमजी प्रभार के लिए भेजा गया था और इस बिल के अंतर्गत मांग 88,389,528/- रुपये की थी। अधिनियम की

धारा 56 के अंतर्गत अगला सूचना 22.05.2007 को जारी किया गया था। कंपनी ने 4 मई, 2007 को बिल का भुगतान नहीं किया था। फिर कंपनी ने 4 मई, 2007 को जारी सूचना की वैधता पर सवाल उठाते हुए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच संपर्क किया। उनका आवेदन 2007 की मामला संख्या 108 के रूप में दर्ज कराई गई थी। और शुरू में फोरम द्वारा माँग पर रोक लगा दी गई थी। 12 फरवरी, 2008 के अंतिम आदेश में फोरम ने निम्नलिखित शर्तों में अपना निष्कर्ष दिया।-

1. याचिकाकर्ता की 08.09.2006 को विद्युत लाइन का डिस्कनेक्शन "कानूनी" "माना जा रहा है"
2. 08.09.2006 की तिथि को समझौता के निर्धारण के लिए सूचना के रूप में मिला गया है।
3. याचिकाकर्ता/उपभोक्ता सितंबर '2006 और अक्टूबर' 2006 के लिए एएमजी शुल्क के ऊर्जा बिल और नवंबर '2006 के मासिक न्यूनतम आधार शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, यानी लाइन के डिस्कनेक्शन के महीने से तीन महीने के लिए।
4. बोर्ड में अधिसूचना संख्या 477 दिनांक 29.10.2002 और पत्र संख्या 793 दिनांक 22.10.2013-दोनों सचिव, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना के हस्ताक्षर में जारी किए गए दिनांक 16.04.2007 को पहली किस्त को स्वीकार करके किए गए पुनर्कनेक्शन को बोर्ड के निर्देशों का साफ़ उल्लंघन माना गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता में बिजली लाइन 08.09.2006 प्रति 15.04.2007 तक यानी छह महीने प्रति अधिक अवधि तक काट दी गई थी।
5. याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत शक्ति का लाभ उठाने/प्रदान करने के लिए किए गए किसी भी अनुरोध को माना जाना चाहिए, जैस कि नए आवेदक का मामला है और किया गया पुनः संयोजन अनुचित पाया गया है।

6. दिसंबर '2006 से मार्च' 2007 तक मासिक न्यूनतम आधार शुल्क लेना अवैध और निकासी के लिए उत्तरदायी है क्योंकि कनेक्शन अप्रैल '2007 में दिया गया था।
7. यदि याचिकाकर्ता छूट का लाभ लेने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो औद्योगिक नीति संकल्प '2006 के अनुसार मासिक न्यूनतम आधार शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ देने के लिए आवश्यक उपयुक्त और उ कार्रवाई की जा सकती है।

7.2 अप्रैल 2008 को कंपनी को आपूर्ति फिर से काट दी गई। अपीलकर्ता और प्रतिवादी कंपनी दोनों ने पटना हाईकोर्ट के संवैधानिक रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए फोरम के आदेश की आलोचना की थी। 2008 में सीडब्ल्यूजेसी 4637 के रूप में दर्ज कराई कंपनी में रिट याचिका ने उस आदेश के उस हिस्से को चुनौती दी जिसमें 8 सितंबर 2006 को बिजली का कनेक्शन काटने को कानूनी ठहराया गया था। बोर्ड की रिट याचिका 2018 की सीडब्ल्यूजेसी 7314 के रूप में दर्ज कराई की गई थी। इस रिट याचिका में बोर्ड ने विवाद का निर्णय करने में लिए निवारण मंच में अधिकार क्षेत्र पर इस आधार पर सवाल उठाया कि कंपनी अपने अपना उपयोग में लिए बिजली का उपयोग नहीं कर रही थी। उन्होंने फोरम के उस आदेश को भी निरस्त करने की मांग की जिसके द्वारा 4 मई, 2007 के ऊर्जा बिल को रद्द किया गया था।

कंपनी द्वारा दायर पहली रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी 4637 ऑफ 2008) में एक अंतरिम आदेश द्वारा, हाईकोर्ट ने आपूर्ति को फिर से सक्रिय करने के उद्देश्य से 35 लाख रुपये की जमा करने के लिए निर्देशित था और हमें सूचित किया गया है कि यह उनके द्वारा जमा किया गया था। आपूर्ति लाइन को भी 24 मई, 2008 को बहाल कर दिया गया। लेकिन 2 अप्रैल 2008 से 24 मई 2008 के बीच कंपनी की बिजली काट दी गई। फिर अवशिष्ट डीपीएस सहित अनेक शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न तारीखों पर मांग की गई और 22 मई, 2009 को 2003 अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत डिस्कनेक्शन की एक नई सूचना जारी की गई। कंपनी ने फिर दिनांक 5 जून, 2009 को 1,63,15,452 रुपये के बिल के खिलाफ फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने आदेश पारित पर रोक लगा दी थी और बोर्ड को प्रतिवादी नं. 1 की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने से बोर्ड को रोकने का आदेश

पारित किया लेकिन 7 अगस्त, 2009 को फिर से कंपनी को आपूर्ति काट दी गई, जिससे कंपनी द्वारा तीसरी रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, जो 2009 के सीडब्ल्यूजेसी 9742 के रूप में दर्ज कराई थी। एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था। उस रिट याचिका में उनसे एक सप्ताह के भीतर 40 लाख रुपये जमा करने में अपेक्षा की गई थी, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल की जानी थी। आगे 6 नवंबर, 2009 तक 40 लाख रुपये में राशि जमा हो जानी थी। यह अंतरिम आदेश 15 अक्टूबर, 2009 को पारित किया गया। वह राशि जमा कर दिया गया था और आपूर्ति बहाल कर दी गई। अंत में विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निर्देशों और टिप्पणियों के साथ 29.4.2010 को पारित एक समान निर्णय और आदेश द्वारा सभी तीन रिट याचिकाओं का निपटान किया:-

"(1) बोर्ड को डिस्कनेक्शनों की अवधि के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ में जा रही मांगों से हटाना होगा, क्योंकि, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, प्रत्येक डिस्कनेक्शन अवैध गलत था और याचिकाकर्ता को इसे लिए भुगतान करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है।"

(2) याचिकाकर्ता के बिलों और देनदारियों को शुरुआती अवधि से ही पुनर्निर्धारित करना होगा में देयता को पूर्वोक्त शुल्कों को हटाना होगा, बीच में किए गए भुगतान को देय क्रेडिट देना होगा और फिर अंतिम राशि की गणना करनी होगी।

(3) अंतिम राशि जिसके लिए बोर्ड को एक महीने की अवधि दी जाती है, बोर्ड बिल को प्रदान करेगा जिसमें पूर्ण विवरण उपरोक्त प्रभारों को हटाते हुए करेगा।

(4) जैसा कि इस अदालत ने पाया है कि दावा की गई रकमों का देय गलत दावा किया गया था, तो संशोधित किए जा रहे बिलों में मैसर्स गया रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मामला में इस अदालत में खण्ड पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए

देय राशि के लिए विलंबित भुगतान प्रभार शामिल नहीं होंगे, जैसा कि 1995 (2) पीएलजेआर 715 में रिपोर्ट किया गया था।

(5) याचिकाकर्ता ने एक वाद कालीन आवेदन द्वारा प्रार्थना की है कि वह सरकार की औद्योगिक नीति 2006 के अंतर्गत छूट का हकदार है। यह विवाद उद्योग विकास आयुक्त के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता को उस अधिकार के समक्ष मामले को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी।"

8. हम सर्वप्रथम इस सवाल का उत्तर देंगे कि क्या 2003 के अधिनियम की धारा 42 (5) अंतर्गत फोरम को कंपनी के आवेदन को ग्रहण करने और अवधारित करने की अधिकार क्षेत्र थी। हमें यहां यह बताना चाहिए कि अपीलीय पीठ के समक्ष बोर्ड के सलाह ने यह स्वीकार किया था कि फोरम के समक्ष उठाया विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए फोरम की अधिकार क्षेत्र है। यह रिकॉर्ड से प्रतीत होता है। अपील न्यायपीठ के समक्ष बोर्ड के सलाह के रूप में यह अपील के अंतर्गत निर्णय में दिखाई देता है:-

“..... हमारे समक्ष, बोर्ड के वकील ने उचित रूप से स्वीकार किया कि फोरम के पास विवाद का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है।”

9. किंतु यदि हम इस आधार पर कार्यवाही करते हैं कि कानून फोरम के समक्ष बनाई गई विधि पर रियायत, जिसके विनिश्चय के विरुद्ध हम इन अपीलों में सुनवाई कर रहे हैं, किसी दल को ऐसी रियायत के लिए आबद्ध नहीं करेगी, तो भी हमें विधि में ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो प्रतितोष फोरम को विवाद का न्यायनिर्णयन करने से वर्जित करता हो। 2003 के अधिनियम की धारा 42 (5) में कहा गया है:

“42. खुले वितरण अनुज्ञासिधारियों के कर्तव्य एवं पहुँच

(1) xxx xxx

(2) xxx xxx xxx

(3) xxx xxx xxx

(4) xxx xxx xxx

(5) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नियत तिथि या अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, से छह महीने के भीतर राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा।"

10. 'उपभोक्ता' शब्द को 2003 के अधिनियम की धारा 2 (15) में निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है:-

"2(15)" "उपभोक्ता" "से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है या इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति के कारोबार में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाती है। और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर कुछ समय के लिए लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति के कार्यों से बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ, जैसा भी मामला हो"

11. प्रतिवादी कंपनी इस विवरण में फिट बैठती है। एक मामले में यह बताने की कोशिश की गई कि चूंकि कंपनी एक उच्च तनाव वाला वाणिज्यिक उपभोक्ता थी, इसलिए वे मंच में आवेदन नहीं कर सके थे। इस आधार पर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और विद्युत लोकपाल विनियमन 2006 के गिनती करना 2 (1) (छ) में निर्दिष्ट उपभोक्ता में परिभाषा पर भरोसा करने में मांग में गई थी। यह धारा निर्दिष्ट करती है:-

2 (1) (जी): "उपभोक्ता" "से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी लाइसेंसधारी द्वारा अपना उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका घर बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लाइसेंसधारी या एक व्यक्ति के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। बिजली आपूर्ति का कनेक्शन किसी लाइसेंसधारी या उस व्यक्ति द्वारा काट दिया जाता है जिसने किसी लाइसेंसधारी से बिजली

प्राप्त करने के लिए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जैसा भी मामला हो।

लेकिन हमें कंपनी के मंच से दृष्टिकोण अधिकार को कम करने का कोई कारण नजर नहीं आता। बिजली का उपयोग बिक्री के लिए वस्तु का उत्पादन प्रस्तुत के लिए हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा बिजली का उपयोग या उपभोग उनकी अपने फैक्ट्री के लिए किया जाता था।

12. इसके आगे अगला सवाल यह उठता है कि क्या फोरम द्वारा दिए गए स्टे के आदेश के बावजूद बोर्ड की ओर से कंपनी की आपूर्ति को काटने की अनुमति थी। हमने विवाद के उस पहलू से निपटने वाली खण्ड पीठ के निर्णय के अंश को पुनः प्रस्तुत किया है। हम इस बारे में खण्ड पीठ के निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं। बोर्ड एक वैधानिक के निर्देश को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और किसी उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से अपनी खुद की धारणा कानूनी है।

13. हमारे समक्ष प्रस्तुत तीसरा मुद्दा इस मुद्दा से संबंधित है कि क्या कंपनी को इस अवधि के दौरान एएमजी प्रभार का भुगतान करने की आवश्यक थी या नहीं, उनकी आपूर्ति डिस्कनेक्शन के कारण रुक गई थी। मंच ने 29 अक्टूबर, 2002 को जारी परिपत्र संख्या 477 (आपूर्ति की सामान्य शर्तें) का हवाला देते हुए कहा कि बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता। फोरम के 12 फरवरी, 2008 में आदेश में उस परिपत्र में पैराग्राफ 6 (बी) और 6 (बी) (iii) को इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

“यदि किसी उपभोक्ता का लाइन बोर्ड के बकाये के भुगतान में चूक के कारण काट दी जाती है और वह तीन महीने में अवधि के लिए काट दी जाती है, तो लाइन के डिस्कनेक्शन में तारीख को समझौता में समाप्ति के सूचना में तारीख माना जाएगा और समझौता को डिस्कनेक्शन के महीने से गणना करके तीन महीने में अवधि के बाद बंद किया जाएगा। उपभोक्ता 3 महीने की इस अवधि प्रति शुल्क प्रावधानों के अनुसार

न्यूनतम ऊर्जा/प्रभार/मांग शुल्क का भुगतान करने के प्रति उत्तरदायी होगा।"

"यदि समझौता समाप्त होने के बाद उपभोक्ता अपने परिसर से यह अनुरोध लेकर आता है तो वह नया आवेदक के रूप में माना जाएगा, लेकिन वह पूर्ववर्ती कनेक्शन के लिए सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा।"

14. दिनांक 17 अप्रैल 2006 के बाद लाए गए बिलों में निर्धारित एएमजी प्रभार में 20 की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया। इस दौरान उपभोक्ताओं को आपूर्ति बंद रही। दूसरी ओर, बोर्ड की ओर से, यह प्रतिवाद करने के लिए कि सर्कुलर नं. ४७७ को ऊर्जा की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के भीतर लागू नहीं किया जा सकता था, १६ अप्रैल, २००४, आपूर्ति समझौता के धारा ९ (क) और (ख) पर भरोसा किया गया था.ये दोनों धाराएं इस प्रकार हैं:

"9(क) उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से तीन साल की समाप्ति से पहले इस अनुबंध को निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। इस संबंध में लिखित रूप में कम बारह पंचांग महीनों का पिछला नोटिस की समाप्ति पर यह समझौता हो जाएगा और इस तरह के नोटिस की अवधि समाप्ति पर यह समझौता समाप्त हो जाएगा और बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्धारित किया जाएगा जो कि इसके तहत बोर्ड को प्राप्त हो सकता है और बशर्ते हमेशा उपभोक्ता किसी भी समय बोर्ड की पूर्व सहमति से इस समझौते को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित या सौंप सकता है और ऐसे हस्तांतरण की सदस्यता पर यह अनुबंध बदली और बोर्ड पर बाध्यकारी होगा और सभी प्रकार से प्रभावी होगा जैसे हस्तांतरिती मौलिक रूप से से यहां उपभोक्ता के स्थान पर एक पक्षकार रहा है। अब से इसके अंतर्गत या इसके संबंध में सभी देनदारियों से निर्वहन किया जाएगा।

(ख) यदि बोर्ड द्वारा इस समझौता और/या कानून में अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता की आपूर्ति काट दी जाती है और उपभोक्ता ऊपर बताए अनुसार अनिवार्य रूप से आपूर्ति का लाभ उठाने में अनुस्मारक अवधि या सूचना में अवधि, जो भी अधिक हो, कि भीतर कानून में अनुसार पुनः कनेक्शन में लिए आवेदन नहीं करता है, तो वहे समझौते में निर्धारण और उपरोक्त अनुस्मारक अवधि कि समाप्ति पर, आपूर्ति का अनिवार्य रूप से लाभ उठाने में अनुस्मारक अवधि या सूचना में अवधि, इनमें से जो भी अधिक हो, कि लिए उपरोक्त मामला 9 (क) में निबंधनों में अनुसार डिस्कनेक्शन में तारीख को एक सूचना दिया गया समझा जाएगा, यह समझौता समाप्त हो जाएगा और उसी तरह से निर्धारित किया जाएगा जैसा ऊपर बताया गया है।"

15. प्रतितोष फोरम ने 12 फरवरी, 2008 के अपने आदेश (मामला संख्या 108/2007) में कहा कि परिपत्र का आंशिक रूप में से कंपनी के पक्ष में निम्नलिखित रूप में अर्थ लगाया है:-

“इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि कनेक्शन काटने के तीन महीनों के बाद, यानी समझौता की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता ने बोर्ड के संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें 2005-2006 के लिए एएमजी बिल की 20 समान किस्तों और अगस्त 2006 के लिए मासिक ऊर्जा बिल की अनुमति दी जाए, लेकिन संबंधित बोर्ड के अधिकारियों ने बोर्ड के इस महत्वपूर्ण रसीद का उल्लंघन करते हुए 11.04.2007 को डिस्कनेक्शन और पुनर्कनेक्शन के साथ किस्तों के समझौता को निष्पादित किया था और दिनांक 12.04.2007 के क्रमशः 9,27,257.00 रुपये (पहली किस्त) के भुगतान और 2,000 रुपये के डिस्कनेक्शन और पुनर्संयोजन शुल्क को स्वीकार करने के बाद 16.04.2007 को लाइन को फिर से जोड़ा गया था, जबकि याचिकाकर्ता/उपभोक्ता को नया आवेदक के रूप में माना गया।

ईएसई/पटना के इस पत्र में आगे कहा गया है कि पुनः कनेक्शन पर उपभोक्ता को इस कनेक्शन की अवधि के दौरान अर्थात् 11/2006 से 4/2007 तक 70,23,149 रुपये मूल्य का नियमित ऊर्जा बिल और एएमजी बिल दिया गया था।

फोरम ने पाया है कि 4/2007 के महीने के लिए बिजली बिल जारी करने के दौरान अर्थात् ईएसई (उपभोक्ता और राजस्व)/पटना इलेक्ट्रिकल सर्किल ने 01.11.2006 से 30.04.2007 तक की भुगतान के लिए 70,36,946 = 00 छूट लिए एमएमसी बिल जारी किया है जिसमें दिनांक 01.11.2006 से 30.04.2007 की अवधि शामिल है। छह महीने के लिए दिनांक 16.05.2007 से पहले भुगतान किए जाने पर 13797.00 रुपये की छूट राशि का उल्लेख किया गया है ।

उनके जारी किए गए ऊर्जा बिल की प्रति की परीक्षण करने पर फोरम को पता चला कि यह ऊर्जा बिल-जिसे 4/2007 के महीने के बिल के रूप में उल्लिखित किया गया है-गलत तरीके से तैयार किया गया है और बोर्ड के समझौता के अनुसार, उपभोक्ता/याचिकाकर्ता केवल 23 से तीन महीने प्रति एएमजी/एमएमसी शुल्क के भुगतान के प्रति उत्तरदायी है। इस तरह दिसंबर 2006 से मार्च 2007 की अवधि के लिए मासिक न्यूनतम आधार शुल्क लगाना/लगाना पूर्ण से गैरकानूनी और गलत है।

मंच ने यह भी पता लगाया है कि 3,47,684 रुपये के 6 प्रति का बिजली शुल्क 57,94,740 रुपये के मासिक न्यूनतम आधार शुल्क में कुल भुगतान पर गलत तरीके से लगाया गया है, जबकि स्थापित मीटर में दिखाए अनुसार दर्ज और गणना के अनुसार इकाइयों के ऊर्जा शुल्क पर ही 6 प्रति की दर से बिजली शुल्क लगाया जाना है।

हालांकि 2000 रुपये के देय डीसी और आरसी शुल्क में भुगतान पहले ही 12 अप्रैल, 2007 को जमा किया जा चुका है, लेकिन 2000 रुपये में यह भुगतान 4 मई, 2007 को जारी किए गए 4 मई, 2007 के बिल में 16.06.2007 में नियत तारीख के साथ फिर से दर्शाई गई है, जो इस बिल को गलत बनाती है।"

16. इस प्रकार हम पाते हैं कि सांविधिक मंच ने बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुछ परिपत्रों के व्यवहार में एक निष्कर्ष निकाला है। हमें नहीं लगता कि हमें इस स्तर पर इस तरह के खोज के साथ हस्तक्षेप चाहिए जो अभी तक कथित परिपत्र की प्रयोज्यता और व्याख्या से संबंधित है।

17. जहां तक समझौता के धारा 9 (क) और (ख) के प्रावधानों का संबंध है, पहला प्रावधान उपभोक्ता के समझौते को निर्धारित करने के सही पर तब तक रोक लगाता है जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न हो जाएं। हालांकि, मंच द्वारा जिस परिपत्र पर भरोसा किया गया है, उसका व्यापक प्रभाव है और बोर्ड द्वारा इसकी प्रयोज्यता पर विवाद नहीं किया गया है। बोर्ड का विवाद है कि फोरम ने परिपत्र के धारा 6 (बी) (आई) का पालन नहीं किया, जो बोर्ड के अनुसार आपूर्ति के सामान्य नियमों और शर्तों में आंशिक परिवर्तन का गठन करता है। हम इस तर्क को प्रतिग्रहण नहीं करते, विशेष रूप से से इन अपीलों के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में। बोर्ड ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किस्तों पर सहमति व्यक्त की थी और आपूर्ति बहाल कर दी थी। उस आधार पर, दिए गए मामले में कंपनी में आपूर्ति में शर्तों में तुलना में एक स्वतंत्रता व्यवस्था अस्तित्व में आई।

18. अब एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार किया जाना बाकी है, वह यह है कि नोटिस जारी करने के बाद कंपनी का प्रतिनिधित्व है या नहीं 2003 के अधिनियम की धारा 56 केवल कठोरता से इस आधार पर मुक्त कर सकता है कि इस तरह के प्रतिनिधित्व ने प्रदर्शित किया कि कोई लापरवाही नहीं हुई थी। उपभोक्ता का वह हिस्सा जो बिजली के किसी भी शुल्क का भुगतान कर सकता है। अधिनियम की धारा 56 में यह प्रावधान है:-

“56 भुगतान में चूक होने पर आपूर्ति का विच्छेदन आपूर्ति, पारेषण या वितरण के संबंध में किसी अनुज्ञप्तिधारी का उत्पादन कंपनी को देय बिजली के शुल्क के अलावा किसी भी शुल्क या किसी अन्य राशि का भुगतान करने में उपेक्षा करता है या उसे बिजली की ब्हीलिंग, लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी, ऐसे व्यक्ति को कम से कम पंद्रह स्पष्ट दिनों की लिखित सूचना देने के बाद और बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसे शुल्क या अन्य राशि को वसूल करने के अधिकार के बिना, कटौती कर सकती है। बिजली की आपूर्ति और उस प्रयोजन के लिए किसी भी बिजली आपूर्ति लाइन या अन्य कार्यों को ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी की सम्पत्ति के रूप में काटना जिसके माध्यम से बिजली आपूर्ति हो सकती है। आपूर्ति की गई है प्रेषित, वितरित या चकित के शुल्क या अन्य राशि के साथ-साथ आपूर्ति को काटने और फिर से जोड़ने में उसके द्वारा किए गए किसी भी खर्च का भुगतान नहीं किया जाता है, बशर्ते कि बिजली की आपूर्ति नहीं काटी जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति विरोध के तहत जमा करता है।

(क) उसके द्वारा दावा की गई राशि के बराबर राशि या

(ख) पिछले छह महीने के दौरान उसके द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए उससे देय बिजली शुल्क, जो भी कम हो, उसके और लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद का निपटान संश्लिप्त है।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि उस तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहले देय हो गई थी जब तक कि ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया गया हो। बिजली की आपूर्ति के शुल्क के बकाया के रूप में लगातार

वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा।"

19. उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत, वाद मुकदमा में वसूली के सामान्य तरीकों के अलावा बिजली आपूर्तिकर्ता को बिजली का डिस्कनेक्शन विशेष रूप से दिया जाता है। एकल न्यायाधीश और हाईकोर्ट की अपीलीय पीठ दोनों ने निर्णय दिया है कि प्रतिवादी कंपनी ने अपने बकाये का भुगतान करने में लापरवाही नहीं की, जिसके कारण आपूर्तिकर्ता आपूर्ति को काट कर कठोर तरीके से प्रभावित कर सकता था. एकल न्यायाधीश ने दो प्राधिकारियों, निगम को निर्दिष्ट किया। नागपुर शहर बनाम नागपुर इलेक्ट्रिक लाइट एंड आपूर्ति कंपनी (एआईआर 1958 बम्बई 498) और समलगेमेटेड कमर्शियल ट्रेडर्स बनाम ए. सी. के. कृष्णास्वामी (1995) (XXV) सीसी 454 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि देय बकायों में बकाया पर पक्षकारों के बीच प्रामाणिक विवाद है, तो ऐसी बकाया का भुगतान न करना लापरवाही के बराबर नहीं होगा। पहला अधिकार भारतीय विद्युत कार्यवाही, 1910 की मामला 24 (1) से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 2003 के अधिनियम की धारा 56 के समान प्रावधान है। एक अन्य अधिकार का उल्लेख लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी और अन्य बनाम प्रताप मोहन सिंह परदेशी (1995) 6 एससीसी 576 के मामले में किया गया था। इस मामले में, मामले में, शामिल मुद्दों में से एक मुद्दा बकाया के भुगतान में गलती करना थी, जिसके लिए निष्कासन में मांग की जा सकती थी। अदालत ने पाया कि उस मामले में बकाया निर्धारित अवधि के भीतर मनी ऑर्डर द्वारा भुगतान करने की मांग में गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि साधारण व्यक्ति को भुगतान करने में चूक का मामला नहीं था और इस तरह लागू बकाया कानून के अंतर्गत निष्कासन के लिए गलती की कठोरता को कम कर दिया गया था.

20. जहां तक विवाद विषय का संबंध है, कम से कम जहां तक पहले बिल का संबंध है, एएमजी प्रभार का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी कंपनी की दायित्व पर कोई विवाद नहीं है. किस्त के लिए इसका प्रतिनिधित्व दया याचिका की प्रकृति का था। अकेले उस कारक को देखते हुए, हमने हाईकोर्ट के इस खोज को स्वीकार नहीं किया होगा कि उपभोक्ता ने अधिनियम की धारा 56 में निहित डिस्कनेक्शन वारंट का भुगतान करने में उपेक्षा नहीं की

थी. लेकिन प्रतिवादी कंपनी के संबंध में, अंततः डिस्कनेक्शन में अवधि के बाद किस्त मंजूर की गई. एक बार जब किस्त भुगतान के लिए उस दलील को स्वीकार कर लिया गया और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए समझौता किया गया, तो इसने कंपनी में ओर से भुगतान करने में सहमति, जो अपीलकर्ता बोर्ड को स्वीकार्य हो। कंपनी की इस दलील को काफी लंबे समय तक मामले को लंबित रखते हुए के बाद स्वीकार कर लिया गया। ऐसी परिस्थितियों में हमारी राय में हाईकोर्ट का यह निर्णय सही था कि 8 सितंबर 2006 को कनेक्शन काटने का कार्य मनमाना था। इन कारणों से हम निचले न्यायालयों के निर्णय में बाधा नहीं डालना चाहते।

21. बोर्ड द्वारा दायर अपीलों को तदनुसार खारिज किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का निर्णय निरंतर है। सभी संबंधित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा। लागत-दण्ड के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(दीपक गुप्ता), न्यायमूर्ति

(अनिरुद्ध बोस), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

27 अप्रैल, 2020

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।